<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 26.09.2018 को आयोजित 138वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 138वीं बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री जी. श्रीकुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री आर. के. थानवी, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री प्रमोद प्रधान, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान व महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री शरद मेहरा, निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान सरकार, श्री बी.एस. जाट, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राजस्थान सरकार तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिड्बी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. तत्पश्चात बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में किए गए सुधारों के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति एवं स्टीरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जा चुकी है तथा उक्त योजना के अनुसार नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है. उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने बताया कि उन्हे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है. उन्होने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की.

उन्होने भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा की गई पहल एवं विभिन्न मुद्दो पर निम्नानुसार जानकारी प्रदान की :

- राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2018 को जयपुर में एमएसएमई दिवस मनाया गया जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और लघु उद्योग भारती द्वारा सहभागिता की गयी.
- राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2018 से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 'ग्राम सभा' का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. नए बचत बैंक खाते खोलने, आधार सीडिंग, माइक्रो एटीएम, रुपे कार्ड और पिन नंबर आदि का वितरण बैंक कर्मचारियों और बैंक मित्रों की मदद से इन ग्राम सभाओं में किया जाएगा। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि इस अभियान में राज्य सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान कर इसे सफल बनाएं।

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक 16,850 गांवों के लिए 'ग्राम स्वराज अभियान' (जीएसए) चरण-I एवं दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 तक 5 aspirational जिलों के लिए 'ग्राम स्वराज अभियान' (जीएसए) चरण-II अभियान शुरू किया था, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को लक्षित कार्यक्रमों यथा पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई के तहत सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए लक्षित किया गया था. उन्होने इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार एवं बैंकों के समन्वय से किए गए कार्यों की सराहना की.
- भारत सरकार ने दिनांक 28.08.2018 से आगे वित्तीय समावेशन जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के राष्ट्रीय मिशन को जारी रखने का फैसला किया है, जिसमें खाते खोलने का ध्येय 'हर घर' से परिवर्तित कर 'हर वयस्क' किया गया है. भारत सरकार द्वारा “जन धन दर्शक” नाम की एप भी बनाई गयी है जिसके माध्यम से बैंकिंग आउटलेट के स्थान का पता लगाया जा सकता है.
- वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार ने विभिन्न बैठकों, वीडियो कोन्फ्रेंस और संचार के माध्यमों से देश भर में बैंक रहित गांवों में ब्रिक और मोर्टार शाखाओं द्वारा अथवा बैंक मित्र द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया था। उन्होने बैंकों की प्रशंसा करते हुए बताया कि राजस्थान में 895 बैंक रहित गांवों में से 470 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कारवाई जा रही हैं। शेष गांवों में भी बैंकिंग सुविधा जल्द उपलब्ध करवाने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया।
- एनपीसीआई द्वारा शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार के साथ मिलकर National Common Mobility Card (NCMC) कार्यक्रम के तहत सभी भुगतान प्रणालियों के लिए एक कार्ड बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है.
- उन्होने बताया कि बैंकों द्वारा व्यवसायियों से सम्पार्श्विक संपत्ति (collateral security) की मांग करने की बजाय सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किए गए ऋण स्वीकृत करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए.

उन्होने निम्न मुद्दों पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया:-

- राको (रोड़ा) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला/ ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वातावरण बनाने की आवश्यकता है.
- उन्होने यह भी सुझाव दिया कि राको (रोड़ा) और SARFAESI अधिनियम के तहत दायर मामलों में वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए एवं लंबित मामलों के निष्पादन हेतु ब्लॉक / जिला प्राधिकरणों को लक्ष्य आवंटित किए जा सकते हैं.
- राज्य सरकार के स्तर पर आर सेटी की भूमि आवंटन के मामले लंबित होने के कारण 3 केंद्रों यथा अलवर, पाली एवं सवाई माधोपुर में आर सेटी परिसर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है. इसके अलावा 3 केंद्रों यथा जैसलमेर, जालोर एवं सीकर को भूमि आवंटित तो कर दी गई है लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया.

- अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के जून 2018 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर व रूपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला.

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय व मंचासीन सदस्यों की अनुमति से सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, श्री हितेश कुमार चौबीसा से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने का अनुरोध किया.

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति श्री हितेश कुमार चौबीसा ने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **137** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने Revamp of Lead Bank scheme के जारी कार्यवाही बिन्दु परिपत्र संख्या RBI/2017-18/155FIDD.CO.LBS.BC.No.19 /02.01.001/2017-18 दिनांक 06.04.2018, FIDD.CO.LBS.BC.No.3134/02.01.001/2017-18 दिनांक 06.04.2018 तथा RBI/2017-18/156 FIDD.CO.LBS.BC.No.20/02.01.001/2017-18 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं में परिवर्तन किए गए हैं जिनमें से मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख/ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की त्रैमासिक बैठक हेतु नीतिगत मुद्दो का निर्धारण स्टियरिंग समिति बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जावेगा.
- विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची एवं नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के लिए संक्षिप्त एवं सुगठित कार्यसूची तैयार की जायेगी। उक्त स्टीरिंग उप समिति की प्रथम एवं द्वितीय बैठक क्रमशः दिनांक 06.08.2018 एवं दिनांक 18.09.2018 को आयोजित की जा चुकी हैं.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति- वित्तीय समावेशन दिनांक 20.06.2018, 19.07.2018 एवं 23.08.2018, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की उपसमिति दिनांक 02.08.2018, एसएचजी/जेएलजी/ एफ़पीओ की उप समिति दिनांक 05.09.2018, कृषि की उपसमिति दिनांक 05.09.2018, एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन की उप-समिति बैठक दिनांक 07.09.2018 को आयोजित की गई। बकाया ऋण वसूली की उपसमिति विभिन्न कारणों से आयोजित नहीं की जा सकी.

Key Business Parameters

शाखा विस्तार: सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 30 जून, 2018 तक राज्य में कुल 7,729 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में जून तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 198 शाखाएं खोली गयी हैं एवं 1 शाखा बंद की गयी है.

जमाएँ व अग्रिम: 30 जून, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 8.92% के साथ कुल जमाएँ रूपये 3,55,889 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 19.76% के साथ कुल ऋण रूपये 2,86,120 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 8.01%, 11.36% एवं नकारात्मक वृद्धि 6.17% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 18.03% व 11.54% रही है एवं सहकारी बैंकों की नकारात्मक दर 4.52% रही है. राज्य का साख जमा अनुपात 82.79% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क से काफी उपर है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 2.21% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,93,551 करोड़ रू रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि 1.01% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 98,986 करोड़ रहा है.

मध्यम, सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 30 जून, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.25% के साथ मध्यम, सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 94,565 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 जून, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.02% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 60,718 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 जून, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.05% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 13,526 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 67.65%, कृषि क्षेत्र को 34.60%, कमजोर वर्ग को 21.22%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 13.96% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 10.33% रहा है.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 30 जून, 2018 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) एवं वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद होने से सूचित किया.

ऐजेंडा क्रमांक - 3

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से दिनांक 30.06.2018 तक 49 गॉवों में बैंक शाखाओं के माध्यम से एवं 118 गांवों में बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गाँवों में दिनांक 30.06.2018 तक हुई प्रगति की सराहना करते हुए बताया कि अब केवल 4 गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा अथवा बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट स्थापित किया जाना शेष है जिसमें 2 गाँव ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 1 गाँव केनरा बैंक एवं 1 गाँव इंडसइंड बैंक को आवंटित हैं।

प्रतिनिधि, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा दिनांक 10.10.2018 तक दोनों गांवों में शाखा खोले जाने का आश्वासन दिया.

प्रतिनिधि, केनरा बैंक ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित गांव इतवाया जिला बाड़मेर में गांव के सरपंच व स्थानीय लोग भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खुलवाना चाहते हैं. स्थानीय लोगों द्वारा उनके बैंक को सहयोग नहीं करने के कारण से केनरा बैंक द्वारा अभी तक शाखा नहीं खोली जा सकी है.

प्रतिनिधि, इंडसइंड बैंक ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित गाँव पावली जिला जालौर में बैंकिंग आउटलेट स्थापित कर दिया गया है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के द्वारा स्थापित किए गए बैंकिंग आउटलेट का निश्चित समय अंतराल यथा मासिक, त्रैमासिक पर बैंक नियंत्रकों द्वारा नियमित निरीक्षण करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकिंग आउटलेट की औपचारिकताएँ पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए.

Unbanked Rural Centres (URC)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा राज्य के 895 बैंकरहित गांवों (5 किमी की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के रोड्मेप) को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर किया गया है. उक्त 895 बैंकरहित गांवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दी गयी है. उन्होने इन गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया.

उन्होने बताया कि दिनांक 07.09.2018 तक 895 बैंकरहित गांवों में से 470 गांवों में बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं 191 गांवों में बीसी का चयन किया जा चुका है. 234 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है. जिसमें से सर्वाधिक आवंटित बैंक रहित गांव भारतीय स्टेट बैंक के हैं जिसमें बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.
प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने शेष गांवों में शीघ्र ही बैंकिंग आउटलेट अथवा बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 20.06.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (5 किलोमीटर की परिधि में बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रोडमेप के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा हेतु) की बैठक, दिनांक 23.08.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (वित्तीय समावेशन) बैठक के दौरान एवं 137वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु के अनुसार प्रत्येक बैंक शाखा परिसर में शाखा से सम्बद्ध समस्त बैंक मित्र (BC) की जानकारी यथा नाम, स्थान, मोबाइल न. एवं फोटो प्रदर्शित किए

जाने के निर्देश समस्त बैंकों को प्रदान किए गए है. उन्होने नियंत्रक, सदस्य बैंकों से पुनः अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक)

Continuation of Comprehensive Financial Inclusion Mission (PMJDY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन "प्रधानमंत्री जन धन योजना" को 28.08.2018 से आगे जारी रखने का फैसला लिया है एवं "प्रत्येक घर में कम से कम एक खाते खोलने" के उद्देश्य को परिवर्तन करते हुए "प्रत्येक वयस्क के खाते खोलने" के उद्देश्य से सूचित किया गया है एवं निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

- पीएमजेडीवाई खाताधारकों की ओवरड्राफ्ट सीमा रु 5,000/- से बढ़ाकर रु 10,000/- कर दी गयी है.
- खाता खुलवाने के लिए आयु सीमा 18-60 वर्ष से परिवर्तित कर 18-65 वर्ष कर दी गयी है. राशि रू 2000/- तक के ओवरड्राफ्ट हेतु किसी प्रकार की शर्ते लागू नहीं होंगी.
- दिनांक 28.08.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के रूपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर रु 1 लाख से बढ़ाकर रु 2 लाख किया गया है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा समस्त नियंत्रक बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही शुरू करने एवं समस्त शाखाओं व प्रमुख स्थानों पर ब्रोशर, डिस्प्ले एवं पुस्तिकाओं के माध्यम से उपर्युक्त परिवर्तनों को प्रचारित करने हेतु अनुरोध किया गया है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.08.2018 तक राज्य में PMJDY के तहत खोले गए खातों में RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 45.28% है तथा आधार सीडिंग 77.85% है.

उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार RUPAY कार्ड एक्टिवेशन व आधार सीडिंग के 100% लक्ष्य प्राप्त करने की कार्ययोजना पर बैंक कार्य करें.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY एवं PMJJBY में कुल नामांकन दिनांक 31.08.2018 तक 65.63 लाख होने से सूचित किया जो कि 31.03.2018 में 63.41 लाख था.

अटल पेंशन योजना

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. योजनांतर्गत राज्य में कुल 406560 नामांकन का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसके सापेक्ष दिनांक 08.09.2018 तक उपलब्धि 17.87% रही है. लक्ष्य प्राप्ति हेतु और अधिक प्रयास किए जाने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 31.08.2018 तक कुल 8792 क्लेम में से 741 क्लेम नोडल बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए हैं एवं 190 क्लेम लंबित हैं. उन्होने लंबित क्लेम का निस्तारण त्वरित गति से करने व अतार्किक कारणों से क्लेम न लौटाए जाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.

Support from Financial Inclusion Fund (FIF)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 10393 गांवों में 14300 PoS मशीनों की स्थापना के लिए नाबार्ड ने 8.58 करोड़ रू की लागत पुनर्भरण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है तथा बैंकों द्वारा दिनांक 30.06.2018 तक केवल 635 PoS स्थापित की गयी हैं जो कि काफी कम हैं.

Support for setting up Aadhaar Enrolment and Update Centres (AEC) in Banks

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि नाबार्ड ने आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र (एईसी) खोलने के लिए बैंकों की पहल का समर्थन करने के लिए एक योजना शुरू की है. सभी बैंक जिन्होंने 31 मार्च 2018 को या उससे पहले अपनी शाखाओं में एईसी की स्थापना की है, इस योजना के तहत अनुदान सहायता के लिए पात्र हैं.

30 नवंबर 2017 तक स्थापित किए गए एईसी रु 1,00,000/- तक के अनुदान के पात्र हैं एवं दिनांक 1 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2017 के बीच स्थापित हुए एईसी रु 75,000/- तक के अनुदान के पात्र हैं. प्रति शाखा केवल एक एईसी 'पहले आओ पहले सेवा के आधार पर' या आवंटित बजट समाप्त होने तक इस योजना के तहत समर्थन के लिए पात्र होगा. दावा जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा उक्त योजना के बारे में समस्त सदस्य बैंकों को सूचित कर दिया गया है.

कनेक्टिविटी की समस्या (Connectivity Issue)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कनेक्टिविटी की समस्या से ग्रस्त ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या का निस्तारण करने व कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार से अनुरोध किया. साथ ही समस्त नियंत्रक बैंकों से अनुरोध किया कि समस्याग्रस्त गांवों की सूची सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं एसएलबीसी को प्रेषित करें जिससे समस्या के समाधान हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रतिनिधि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार ने आश्वासन प्रदान किया कि जिन गांवों/पंचायतों में कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है उन स्थानों पर शीघ्र ही कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जावेगी.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में कनेक्टिविटी का मुद्दा काफी ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि प्रत्येक गाँव, ढाणी के प्रत्येक व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी होना अत्यंत आवश्यक है. इस संबंध में उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि जिन स्थानों पर कनेक्टिविटी की समस्या है उनकी सूची तैयार कर एसएलबीसी को उपलब्ध करवाएँ जिससे राज्य सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का निस्तारण किया जा सके. साथ ही उन्होने उक्त कार्यबिन्दु को एसएलबीसी की उपसमिति में चर्चा करने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक एवं एसएलबीसी)

<u>ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि 30.06.2018 तक राज्य में 7729 बैंक शाखाओं के सापेक्ष 5229 ऑन-साइट एटीएम की स्थापना बैंकों द्वारा की जा चुकी है। उन्होने बीआरकेजीबी एवं आरएमजीबी की शाखाओं की संख्या के सापेक्ष ऑन-साइट एटीएम की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण उनके प्रतिनिधि से इस संबंध में कार्ययोजना से अवगत करवाने का अनुरोध किया.

अध्यक्ष, बीआरकेजीबी ने अक्टूबर 2018 तक सभी शाखाओं में नकद भुगतान के लिए माइक्रो एटीएम एवं नकदी जमा हेतु आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) की सुविधा आरंभ करने का आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि उनके बैंक द्वारा 30 एटीएम स्थापित किए जा चुके हैं. 3 मोबाइल वैन के द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही Vortex कंपनी के 100 मिनी एटीएम के क्रयादेश कर दिये गए हैं.

उन्होने बताया कि उनके बैंक की शाखाओं में जगह की कमी व अधिक ग्राहक भार न होने के कारण एटीएम मशीन लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है. उन्होने सदन से अनुरोध किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑन-साइट एटीएम लगाए जाने की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया जाए.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि जिन बैंक शाखाओं में अत्यधिक भीड़ रहती है वहाँ यह देखने में आया है कि शाखा के बाहर बैंक मित्र को बैठाकर जमा व भुगतान करवाया जा रहा है. ऐसा करने से बैंक मित्र का मूल प्रयोजन जो कि गांवों में जाकर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है. इस संबंध में उन्होने नियंत्रक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अनुरोध किया कि वे भविष्य की जरूरतों को

देखते हुए अपने स्तर पर निर्णय करें कि किन शाखाओं में एटीएम मशीन की आवश्यकता है एवं किन शाखाओं में माइक्रो एटीएम व एईपीएस लगाया जाना चाहिए एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति (वित्तीय समावेशन) की आगामी बैठक में अपनी नई कार्ययोजना से अवगत करवाएँ.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने नियंत्रक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक, इलाहबाद बैंक, डीसीबी, आरएससीबी, येस बैंक एवं ग्रामीण बैंकों से अनुरोध किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार अपनी सभी शाखाओं में ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु त्वरित कार्यवाही करें.

<u>ग्राम स्वराज अभियान</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत राज्य में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि उक्त अभियान के लक्ष्यों को समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया. साथ ही उन्होने ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रगति के आकड़ों के बारे में अवगत करवाया.

एजेंडा क्रमांक- 4

<u>Credit Disbursement by Banks</u>

वार्षिक साख योजना : वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जून तिमाही तक की उपलब्धि 23.46% रही है. कृषि में 19.33%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 44.50% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 11.98% की उपलब्धि दर्ज की गई है एवं वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष जून तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों ने 25.24%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 27.02%, को-ऑपरेटिव बैंक ने 12.55% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 258.20% की उपलब्धि दर्ज की है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, विजया बैंक एवं आरएससीबी की वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्यों के सापेक्ष 15% से कम उपलब्धि रही है. उन्होने भारतीय स्टेट बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे कम प्रगति रहने के कारण से सदन को अवगत करवाएँ.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि जिला हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दिये गए ऋणों में क्लेम की बड़ी रकम जमा हुई है. उनके बैंक द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों कि सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में उनके बैंकों की प्रगति चिंता जाहीर की एवं उन्होने इस संबंध विशेष प्रयास करने के निर्देश प्रदान किए. साथ ही स्माल फ़ाइनेंस बैंकों के लक्ष्यों के सापेक्ष अच्छी प्रगति होने पर उन्होने सराहना की.

(कार्यवाही : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 30 जून, 2018 के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के भारत सरकार द्वारा आवंटित 66274 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.06.2018 तक 18287 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 28% उपलब्धि है.

प्रतिनिधि, राजीविका ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति- एसएचजी/ जेएलजी/ एफ़पीओ में हुई चर्चा के अनुसार कुछ बैंक शाखाओं द्वारा आईबीए प्रमाणित एसएचजी के खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज के फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा रहे है. बैंकों के फॉर्म अलग होने के कारण 2 प्रकार के फॉर्म भरने में समय बर्बाद होता एवं अतिरिक्त कार्यभार होता है. उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि सभी बैंकों द्वारा आईबीए प्रमाणित एसएचजी के खाता खोलने के फॉर्म को ही स्वीकार करने हेतु नियंत्रक, सदस्य बैंकों को निर्देश प्रदान करें.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि आईबीए प्रमाणित एसएचजी के खाता खोलने व क्रेडिट लिंकेज के प्रारूप में उपलब्ध सूचना के अलावा आपके बैंक द्वारा चाही गयी आवश्यक सूचना का विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रेषित करें जिससे एसएलबीसी के स्तर पर सभी बैंकों की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर एक कॉमन फॉर्म तैयार किया जा सके.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विभिन्न बैंक शाखाओं के शाखा प्रबन्धकों को ज्ञान का अभाव है इस संबंध में उन्होने नियंत्रक सदस्य बैंक को निर्देश प्रदान किए कि उनके कार्यालय से सभी शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश बैंक शाखाओं को उपलब्ध करवाएँ एवं इसकी प्रति राजीविका व एसएलबीसी को भी प्रेषित करें.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के अनुसार केवाईसी दिशा निर्देशों की अनुपालना की जानी चाहिये. यदि किसी बैंक के सॉफ्टवेयर में केवाईसी से संबन्धित तकनीकी त्रुटि है तो वे उसे संशोधित करवाने की कार्यवाही की जाएं.

साथ ही उन्होने सदन के समक्ष एक सुझाव प्रस्तुत किया कि स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज देने के संबंध में एक राशि सीमा निर्धारित की जाये. बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक क्रेडिट लिंकेज करने पर एसएचजी द्वारा परिसंपत्ति का निर्माण (Asset Creation) किया जाना चाहिए. उन्होने अनुरोध किया कि इस सुझाव पर समस्त बैंकों द्वारा विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की आगामी उप समिति में इस पर चर्चा की जाये.

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा राजीविका के अधिकारियों के साथ बैठक करने हेतु 3-4 बार प्रयास किए गए परंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त बैठक आयोजित नहीं हो सकी है. उन्होने राजीविका के प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द उनसे संपर्क करें जिससे बैठक आयोजित कर क्रेडिट लिंकेज से संबन्धित मुद्दों का निस्तारण किया जा सकें.

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत दिनांक 31.07.2018 तक एनयूएलएम योजना के तहत 11368 प्रकरणों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष 1407 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किया जा चुका है. साथ ही उन्होने समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि ब्याज अनुदान की राशि को ऑनलाइन ही प्रोसैस किया जाये एवं अस्वीकृत/ लौटाये गए आवेदनों का स्टेटस नियमित रूप से अद्यतित करें.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि एनआरएलएम योजना के अंतर्गत दिये गए ऋण की समय सीमा में अदायगी करने पर ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है जिसकी प्रक्रिया राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रतिनिधि, राजीविका से अनुरोध किया कि उक्त जानकारी एसएलबीसी को प्रेषित करें जिससे समस्त सदस्य बैंकों को अवगत करवाया जा सके.

प्रतिनिधि, राजीविका ने इस संबंध में सदन को अवगत करवाया कि राज्य को दो वर्गों में बांटा गया है जिसकी विस्तृत जानकारी एसएलबीसी के साथ साझा करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए राज्य में पीएमईजीपी के तहत मार्जिन के लक्ष्य राशि रू 77.43 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 17.67 करोड़ की मार्जिन मनी के ऋण प्रदान किए गए है. जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 22.82% (ऋण पर मार्जिन मनी स्वीकृति) उपलब्धि है. प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) के अंतर्गत हुई प्रगति से सदन को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों को 4900 ऋण आवेदन प्रेषित किए गए हैं जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में सर्वाधिक आवेदन लंबित हैं. नीति आयोग द्वारा चयनित राज्य के 5 पिछड़े जिलों में भी भारतीय स्टेट बैंक की प्रगति काफी कम है. उन्होने भारतीय स्टेट बैंक के साथ इस संबंध में पृथक से बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया ताकि लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा सकें. उन्होने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में भी बड़ी मात्रा में आवेदन लंबित होने से सूचित किया.

उपहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने आगामी सप्ताह में बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने व्यक्तिगत रूप से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारी से चर्चा कर मामले का निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया.

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने 30 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिए जाने से सूचित किया.

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने सदन को अवगत करवाया कि 21% आवेदन 'अन्य कारणों' का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिये गए है जो कि तर्कसंगत नहीं है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि आवेदनों को अस्वीकृत करने का उचित कारण अंकित कर ही आवेदन पत्र को लौटाने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित एक ही गांव में समान प्रकार के कार्यकलाप हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर बैंक के लिए सभी को ऋण स्वीकृत करना व्यवहार्य नहीं हो पाता है. आवेदनों की गुणवत्ता स्तर जांच कर एवं व्यक्तिगत वार्ता कर ही आवेदन को प्रायोजित कर बैंक शाखाओं को प्रेषित करने हेतु नोडल विभाग से दिशा-निर्देश जारी करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से अनुरोध किया.

Special Central Assistance Scheme SC/ST

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 24850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.07.2018 तक मात्र 668 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 2.69% उपलब्धि है. उन्होने समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से वर्ष 2018-19 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, एससी/ एसटी कोर्पोरेशन ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय- वर्ग में परिवर्तन किया गया है जिसकी जानकारी एसएलबीसी व समस्त बैंकों से साझा की जा चुकी है. साथ ही उन्होने बताया कि बैंक शाखाओं द्वारा आवेदनकर्ता को यह कहा जाता है कि सब्सिडी की राशि प्राप्त होने के बाद ऋण खाता खोला जाएगा. परंतु आजकल सब्सिडी की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में हस्तांतरित की जाती है, उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि शाखाओं को निर्देशित करें कि योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत होने के पश्चात ही अनुदान राशि की मांग की जावें.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त योजना का विवरण मय दिशा-निर्देश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रेषित करने का अनुरोध किया ताकि उक्त दिशा-निर्देश समस्त बैंकों से साझा किए जा सकें एवं आगामी एसएलबीसी की उप समिति बैठक में विस्तृत चर्चा की जा सकें.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक शाखाओं में पीएमएमवाई साइनेज बोर्ड प्रदर्शित करने, प्रत्येक शाखा में एक मुद्रा हेल्प डेस्क स्थापित करने एवं योजनांतर्गत लाभान्वितों के कार्य परिसर में लोगो का प्रदर्शन करने के भी निर्देश प्रदान किए गए है. उन्होने सभी बैंकों से उक्त निर्देशों कि अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया.

साथ ही सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आवंटित लक्ष्यों रू 8225.21 करोड़ के सापेक्ष 31 अगस्त 2018 तक राशि रू 2524.02 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिये हैं, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 30.69% रही है.

भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य के लक्ष्य 11000 ईकाई को वित्तपोषण करने के रखे गए हैं एवं

दिनांक 31.07.2018 तक बैंक शाखाओं द्वारा 337 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 3.06% रही है.

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राज्य सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य सभी बैंकों से अनुरोध किया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु समस्त शाखाओं को निर्देशित करें.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त मुद्दे पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति में चर्चा करने हेतु अनुरोध किया.

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत राज्य के बैंकों को आवंटित 13652 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में दिनांक 31.08.2018 तक केवल **252** उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 3315 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है जो कि केवल 24.28% है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की प्रगति कम रही है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना के साथ क्रियांविति करावें.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2018 तक संचयी (Cumulative) 6047 इकाइयों को राशि रू 70.52 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2018 तक (Cumulative) 1256 इकाइयों को राशि रू 9.33 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है.

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2018 तक केवल 1293 इकाइयों को राशि रू 22.91 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है. साथ ही उन्होने एनएचबी एवं हुड़को के प्रतिनिधियों से आकड़ों के विचलन के कारण से सदन को अवगत करवाए जाने का अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, एनएचबी ने बताया कि जिन खातों में अनुदान (Subsidy) की राशि जमा की जा चुकी है वही खाते एनएचबी द्वारा आकड़ों में शामिल किए जाते हैं जबकि बैंकों द्वारा वे खाते भी आकडे में शामिल कर लिए जाते हैं जिनके लिए सब्सिडी क्लेम के लिए एनएचबी को प्रेषित कर दी है परंतु खाते में क्लेम राशि

जमा होना लंबित है. साथ ही उन्होने बताया कि राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफी संभाव्यता है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि संभाव्यताओं का लाभ उठाते हुए अधिकाधिक लोगो को योजनान्तर्गत लाभान्वित करें.

प्रतिनिधि, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने बताया कि यूआईटी, उदयपुर द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवंटन महिला के नाम ना होकर पुरूष के नाम पर किया गया है जिससे सब्सिडी क्लेम नहीं की जा सकती है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि यूआईटी, उदयपुर द्वारा लापरवाही के कारण इस प्रकार की गलती की गयी है. इस मुद्दे को जल्द से जल्द राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय कर सुलझाया जाये ताकि कोई भी लाभार्थी सब्सिडी से वंचित न रह जाये.

निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान सरकार ने बताया कि जो आवंटन महिला के नाम पर नहीं किए गए हैं उनमे संबन्धित विभाग से समन्वय कर महिला का नाम जोड़ा जाये एवं एसएलबीसी द्वारा यूडीएच विभाग को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया जाये कि यूडीएच विभाग के अंतर्गत सभी शासन निकायों को निर्देशित करें कि इस योजना के अंतर्गत जो आवंटन किए जाये उनमें महिला का नाम शामिल किया जाये.

Housing Loan- Change in Priority Sector classification Guidelines

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत आवास ऋण के पात्रता मानदंडों में संशोधन किया है. किफायती आवास योजना के साथ आवास ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के दिशानिर्देशों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए कम लागत वाले आवास उपलब्ध करवाने के लिए, आवास ऋण सीमा महानगरीय केंद्रों में ₹ 35 लाख (दस लाख और उससे अधिक की आबादी के साथ) और अन्य केंद्रों में ₹ 25 लाख की गई है, बशर्ते मेट्रोपॉलिटन केंद्र में और अन्य केंद्रों में आवासीय इकाई की कुल लागत क्रमश: ₹ 45 और ₹ 30 लाख से अधिक न हो.

इसके अतिरिक्त, आवास की परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) के लिए घरों के निर्माण के उद्देश्य हेतु पिछले मास्टर दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित आय सीमा प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत निर्दिष्ट आय मानदंडों के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए प्रति वर्ष ₹ 2 लाख की मौजूदा पारिवारिक आय सीमा संशोधित कर प्रति वर्ष ₹ 3 लाख और एलआईजी के लिए ₹ 6 लाख प्रति वर्ष की गई है. मास्टर दिशा निर्देशों के तहत निर्दिष्ट सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित है.

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ़ 2018</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने दिनांक 05.09.2018 को आयोजित कृषि संबंधी योजनाओं पर एसएलबीसी राजस्थान की उप समिति की बैठक में उठाये गए मुद्दे सदन के समक्ष प्रस्तुत किए:-

- हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर इत्यादि जिलों के कई गांवों का विवरण पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है, जिसके कारण बैंक शाखायें पोर्टल पर पात्र किसानों के डेटा को अपलोड करने में असमर्थ हैं.
- कुछ बैंकों की शाखाओं ने खरीफ 2018 के लिए मनोनीत कंपनियों के अलावा अन्य बीमा कंपनियों को फसल बीमा प्रीमियम राशि प्रेषित की है. अब बीमा कंपनियां प्रीमियम राशि को वापस करने के लिए -2 महीने की अवधि की मांग कर रही हैं जो कि अनुचित है. इस प्रकार के ज्यादातर मामले फ़्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी से संबन्धित हैं.
- खरीफ 2018 फसल बीमा योजना के तहत पात्र कई किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है. इसके अतिरिक्त, बैंक शाखाएं सही आधार संख्या उपलब्ध होने के बावजूद भी पोर्टल पर कुछ पात्र किसानों का डेटा अपलोड करने में सक्षम नहीं हैं.
- उन्होने फसल बीमा कंपनियों से अनुरोध किया कि वे खरीफ 2018 के सेवा प्रभार का भुगतान सीधे बैंक के अंचल कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय को जल्द से जल्द करें.

उन्होने कृषि विभाग, राज्य सरकार से उपर्युक्त मुद्दों पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया.

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार से नियमित रूप से फॉलो अप कर पोर्टल पर गांवों का विवरण अद्यतन करवा कर पात्र किसानों के डेटा को अपलोड करवाने की कार्यवाही की जावेगी. साथ ही अवगत करवाया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इंश्योरेस क्लेम प्राप्त करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है.

प्रतिनिधि, फ़्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि जो प्रीमियम गलत जमा हो गया है उसे जल्द से जल्द वापस करवा दिया जाएगा.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कुछ शाखाओं द्वारा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को समय पर प्रेषित नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को क्लेम देने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. उन्होने कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि इस मुद्दे को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा कर जल्द से जल्द सुलझाया जाये जिससे किसान न्याय संगत लाभों से वंचित न हो.

साथ ही उन्होने बताया कि कृषि विभाग के सक्षम स्तर से बातचीत कर प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों को देरी से प्रेषित किए जाने की ज़िम्मेदारी तय करते हुए उक्त प्रीमियम को मय पेनल्टी के बीमा कम्पनी

द्वारा स्वीकार किया जावें ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो एवं किसानों को खामियाजा ना उठाना पड़े.

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए समय पर प्रीमियम की राशि फसल बीमा कंपनियों को प्रेषित करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि नोटिफ़िकेशन जारी करने के बाद बैंकों को पोर्टल पर डेटा डालने के लिए पर्याप्त समय दिया जाये जिससे इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े. उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि फसल बीमा से संबन्धित मुद्दों के संबंध में आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार को पत्र प्रेषित कर अवगत करवाया जाये जिससे उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके.

प्रतिनिधि, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने बताया कि पोर्टल पर तकनीकी खामी के कारण भुगतान करने के बाद यूटीआर नंबर फिड नहीं हो पा रहा है.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पीएमएफ़बीवाई की अधिसूचना के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम की राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जानी है लेकिन फसल बीमा कंपनियों द्वारा उक्त राशि किसान के खाते में जमा नहीं कर बैंक शाखा के खाते में जमा की जा रही है एवं किसानों की सूची भी बैंक शाखाओं को प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे संबन्धित किसानों के खातों में क्लेम राशि जमा करने में परेशानी आ रही है. **(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)**

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि राज्य के लगभग 140 गांवों का नाम पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर दर्ज नहीं होने के कारण बैंक शाखाओं को आकडे अद्यतन करने में परेशानी आ रही है.

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में जून तिमाही तक राज्य में 10611 छात्रों को राशि रू 336.01 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं. कुल बकाया राशि रू 1808 करोड़ है एवं एनपीए 5.76% होने से अवगत करवाया.

<u>एफ़पीओ (FPO)</u>

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि राज्य में नाबार्ड द्वारा 137 एफ़पीओ को कंपनी एक्ट में पंजीकृत किया गया है. कृषि विभाग द्वारा 40 एफ़पीओ बनाए गए हैं. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि वे

शाखा स्तर पर अधिकारियों को एफ़पीओ को वित्तपोषण हेतु जानकारी उपलब्ध करावें. एफ़पीओ से समन्वय करने के लिए नाबार्ड के डीडीएम की मदद ली जा सकती है. एफ़पीओ को वित्तपोषित कर बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एफ़पीओ को लाइसेंस देने एवं मंडी में स्थान उपलब्ध करवाने की कार्यवाही कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर प्रतीक्षित है.

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा एफ़पीओ की कार्यप्रणाली व वित्त पोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी सदन को प्रदान की.

एजेंडा क्रमांक- 5

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub- Committee of DCC (SCC)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 8 जिलों में 100% से अधिक साख जमा अनुपात है 17 जिलों में 71%-100% है, 1 जिलें में 61%-70% है, 3 जिलों में 51%-60% है, 3 जिलों में 41%-50% है, एवं 1 जिलें में 40% से कम है. जिला डूंगरपुर का साख जमा अनुपात 40% से भी कम है. अग्रणी जिला प्रबन्धक, जिला डूंगरपुर द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक डीएलआरसी / डीसीसी बैठक में इस एजेंडे की समीक्षा की जा रही है. साथ ही साख जमा अनुपात के लिए विशेष उप-समिति की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी राजस्थान की स्टीयरिंग समिति बैठक में तीन जिलों यथा डूंगरपुर (35.88%), राजसमंद (49.13%) और सिरोही (41.45%) में सीडी अनुपात का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया है एवं उन्होने उक्त अध्ययन रिपोर्ट में जिले के उद्योगों को अन्य जिलों की शाखाओं द्वारा वित्तपोषित करने के बिन्दु को भी सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया है.

एजेंडा क्रमांक- 6

Position of NPA in respect of Schematic Lending, Certificate cases and Recovery of NPA

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जून तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 286120 करोड़ है तथा कुल एनपीए 10816 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 3.78%

है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 5.97%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.27%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 1.56% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 4.41% होने से सूचित किया है.

Comparison chart of NPA

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मार्च 2018 में कुल एनपीए 3.53% था जो कि जून 2018 में 3.78% रहा है.

सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कुछ जिलों में सरफेसी एवं राको रोड़ा के मामले जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर काफी समय से लंबित हैं जैसे जयपुर में 100 से अधिक प्रकरण लंबित है जो कि चिंता का विषय है. इस संबंध में एनपीए रिकवरी के लिए भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा अत्यधिक ज़ोर दिया जा रहा है. सरफेसी एवं राको रोड़ा के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निबटान हेतु राज्य सरकार के साथ मिलकर एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए.

संयुक्त शासन सचिव (सं.वि.), आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार से भी इस मामले में पत्र प्राप्त हुआ है एवं उनके विभाग द्वारा जल्द ही समस्त जिला कलेक्टर को लंबित मामलों की सूची प्रेषित कर उनका निस्तारण करने हेतु निर्देश प्रदान कर दिए जायेंगे.

(कार्यवाही : संस्थागत वित्त, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, आरएमजीबी ने बताया कि उनके बैंक द्वारा पिछले दो वर्षों में सभी एनपीए खातों को उजागर कर दिये जाने से एनपीए स्तर बढ़ गया है जिसे कम करने के लिए रिकवरी के प्रयास जारी हैं. उन्होने जिला पाली, जालोर एवं सिरोही में जिला प्रशासन से राको रोड़ा के अंतर्गत लंबित मामलों के निबटान हेतु संयुक्त शासन सचिव (सं.वि.), आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया.

संयुक्त शासन सचिव (सं.वि.), आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि जिला पाली, जालोर एवं सिरोही में होने वालो डीएलआरसी की बैठक के स्थायी एजेंडे में उक्त मुद्दे को शामिल करें एवं यदि डीएलआरसी की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा सहभागिता नहीं की जाती है तो कार्यवाही बिन्दु में यह बिन्दु शामिल कर उनके संबन्धित विभाग को प्रेषित करें.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत लंबित मामलों का निस्तारण करने हेतु समय सीमा का निर्धारण करें जिससे पुराने बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निबटान हो सकें. साथ ही अनुरोध किया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दिये गए ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें.

एजेंडा क्रमांक- 7

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 07.09.2018 को आयोजित एमएसएमई और निर्यात संवर्धन पर एसएलबीसी राजस्थान की उप-समिति की बैठक में श्री के एल जैन, अध्यक्ष, एफएएसआईआर ने निम्नानुसार अनुरोध किया :

- सदस्य बैंकों के नियंत्रकों को अपनी बैंक शाखाओं को योग्य एमएसएमई उद्यमियों से पार्श्विक सुरक्षा (collateral security) की मांग करने की बजाय सीजीटीएमएसई और एनसीजीटीसी योजना के अंतर्गत कवर करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए.
- निर्यातकों द्वारा 180 दिनों तक विदेशी खरीदारों को क्रेडिट सुविधा देने एवं सरकार से जीएसटी रिफंड प्राप्त होने में लगने वाले समय के कारण निर्यातकों के पार तरलता की कमी हो जाती है. इस संबंध में, उन्होंने सभी बैंकों से ब्रिज लोन के रूप में नकद क्रेडिट (सीसी) सीमा प्रदान करने के लिए नीति तैयार करने का अनुरोध किया.
- उन्होंने उन इकाइयों को पुनर्जीवित करने की संभावना भी तलाशने का अनुरोध किया है जो बीमार उद्योग हैं या बीमार श्रेणी में आने के करीब हैं.
- राज्य स्तर पर, प्रत्येक बैंक को वरिष्ठ और छोटे उद्यमियों को ऋण से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए कम से कम सहायक महाप्रबंधक के स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने जिला / ब्लॉक स्तर पर विशेष एमएसएमई शाखाओं की स्थापना के लिए सभी बैंकों से भी अनुरोध किया.

साथ ही उन्होने बताया कि जयपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गोपाल दास गुप्ता, बाईस गोदाम, जयपुर ने उप समिति की बैठक में अनुरोध किया कि:

- राज्य में ऐसे कई मामले हैं जहां एसोसिएशन के नाम पर सरकार द्वारा जमीन आवंटित की जाती है और उद्यमी इन संघों के सदस्य होते हैं लेकिन बैंकों द्वारा ऋण उन सदस्यों को प्रदान नहीं किया जाता है क्योंकि उनके पास उनके नाम पर बैंक में संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में रखने के लिए कोई अन्य संपत्ति नहीं है। इस संबंध में सभी बैंकों से एक कार्य योजना / नीति तैयार करने का अनुरोध किया गया।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि बैंक द्वारा जहाँ भी एमएसएमई की विशेषीकृत शाखाएँ खोली गयी हैं इसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाई जानी चाहिए एवं इन शाखाओं में ग्राहकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी, ब्याज अनुदान राशि एवं विभिन्न ब्याज रियायतों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु उचित पुस्तिकाएँ आदि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

एजेंडा क्रमांक- 8

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 05.09.2018 को आयोजित कृषि संबंधी योजनाओं पर एसएलबीसी राजस्थान की उप-समिति की बैठक में उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं-

- बैंकों द्वारा Negotiable Warehouse Receipts (NWR) के बारे में वास्तविक डेटा / जानकारी उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर अन्य बैंक 'शून्य' जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं.
- इसके अलावा बैंकों द्वारा एनडब्ल्यूआर योजना के अंतर्गत कुछ जिलों यथा जिला बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, डुंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में शून्य वित्तपोषण सूचित किया गया है. उन्होंने इन जिलों में वित्त पोषण शुरू करने की संभावना तलाशने के लिए सभी नियंत्रकों, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने जिन बैंकों द्वारा NWR को वित्तपोषित किया गया है वे अपने अनुभव से सदन को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक को जिला कोटा, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में एनडबल्यूआर को वित्तपोषित करने का अच्छा अनुभव है. अभी तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने व नगण्य एनपीए होने से सूचित किया.

एजेंडा क्रमांक- 9

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में 35 आरसेटी/ रुडसेट कार्यरत है जिसमें से तीन आरसेटी के भूमि आवंटन प्रकरण लंबित है, तीन आरसेटी को भूमि आवंटित हो चुकी है लेकिन विभिन्न मुद्दे निस्तारण हेतु लंबित है, 19 आरसेटी अपने स्वयं के भवन में संचालित है तथा 10 आरसेटी के भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है. उन्होने बताया कि आरसेटी संस्थानों के द्वारा वर्ष 2018-19 में दिनांक 30.06.2018 तक कुल 216414 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिनकी व्यवस्थापन दर 76.94% रही है.

राज्य निदेशक, आरसेटी ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किए जाने एवं कुल व्यवस्थापन दर 76.94% रहने से सूचित किया. उन्होने बताया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया

कि आरसेटी प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के ऋण आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु शाखाओं को निर्देश प्रदान करें.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया कि आरसेटी संस्थानों के प्रशिक्षण पैटर्न में बदलाव लाने की जरूरत है. स्थानीय रोजगार की आवश्यकता का अनुसंधान कर नए कोर्स बनाए जाएँ जिससे उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर संबन्धित क्षेत्र में ही व्यवस्थापित हो सकें.

R-SETI Building Construction

आरसेटी, अलवर : महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि आरसेटी अलवर के भूमि आवंटन के लिए यूआईटी से राशि रू 56 लाख की मांगपत्र प्राप्त हुआ है जिस पर PNBCRT सहमत नहीं है. लीज़ एवं अन्य शुल्क माफ किए जाने की स्थिति में उक्त आवंटन पर विचार किया जा सकता है.

आरसेटी, जैसलमेर : प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि आरसेटी जैसलमेर को भूमि आवंटन संबन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है लेकिन आज दिनांक तक आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है यूआईटी के स्तर से कार्यवाही लंबित है.

आरसेटी, जालोर : प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि आरसेटी जालोर को जो भूमि आवंटित की गयी है उस पर अन्य पक्ष द्वारा मालिकाना हक का दावा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त कार्यवाही कोर्ट में काफी लम्बे समय से लंबित है. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आरसेटी जालौर के लिए वैकल्पिक भूमि के आवंटन का अनुरोध किया गया है.

आरसेटी, पाली : प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि आरसेटी पाली ने सूचित किया है कि जिला कलेक्टर द्वारा आरसेटी के लिए भूमि चिन्हित कर ली गयी है परंतु अभी तक भूमि आवंटन की प्रक्रिया लंबित है.

प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित किया कि जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें आरसेटी भूमि आवंटन के मुद्दों का निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाएगी.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme: As on 30.06.2018

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी प्रशिक्षुओं के मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण हेतु 2688 आवेदन पत्र लंबित होने से सूचित किया. उन्होने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे

अपनी शाखाओं को 15 दिनों के भीतर लंबित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित करें. डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि वे डीएलआरसी / बीएलबीसी बैठकों में प्रगति की निगरानी के लिए संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक को निर्देश प्रदान करें.

(कार्यवाही : डीसीसी संयोजक बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत आरसेटी / रुडसेटी के माध्यम से मेसन के काम के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण का क्रियान्वयन</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा राज्य में समस्त आरसेटी निदेशकों को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत आरसेटी / रुडसेटी के माध्यम से मेसन के कार्य के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर दिनांक 31.12.2018 तक मेसन प्रशिक्षण की व्यवस्था करें.

<u>Charging Commercial tariff for electricity connection given to RSETI buildings</u>

सहायक महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें कौशल निर्माण का कार्य करती है जिसमें किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार संबन्धित ऊर्जा विभाग को निर्देशित करें कि आर सेटी को दिये गए बिजली कनेक्शन पर व्यावसायिक दरें वसूलने की बजाए घरेलू दर से चार्ज वसूला जाये.

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्र</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से जून 2018 तिमाही में पार्ट ए (डिजिटल प्लेटफार्म पर विशिष्ट केम्प) के लिए 674 एवं पार्ट बी (विशेष लक्षित समूह) के लिए 1221 केम्पस आयोजित किए गए हैं.

<u>Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)-</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न समूहों के लिए निम्न प्रकार के वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं:-

- वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए कार्यक्रम
- वयस्कों के लिए कार्यक्रम
- किसानों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, एसएचजी और उद्यमियों के लिए कार्यक्रम
- एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, * 99 #, यूपीआई / भीम-यूपीआई, डेबिट कार्ड और डिजिटल लेनदेन करते समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए राज्य के 5 महत्वाकांक्षी जिलों (Aspiration District) में विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जोर दिया है. उन्होने बताया कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के दौरान निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाने अपेक्षित है :-

- नए खाते खोलना - बीएसबीडी खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा और सावधि जमा खाते
- रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड जारी करना
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन करना
- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं के लिए पंजीकरण
- बैंकिंग ऐप और भीम ऐप डाउनलोड करवाना
- रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड एक्टिवेट करवाना

<u>एजेंडा क्रमांक- 10</u>

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 05.09.2018 को आयोजित कृषि संबंधी योजनाओं पर एसएलबीसी राजस्थान की उप-समिति की बैठक में उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कृषि भूमि पर बैंक के पक्ष में रहन का निर्माण

विभिन्न बैंकों ने सूचित किया है कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक के रहन दर्ज कराने के संबंध में उन्हे लिखित में दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. कृषि भूमि पर बैंक के पक्ष में रहन दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ हार्ड कॉपी भी मांगी जा रही है जो इस प्रक्रिया को बैंक शाखाओं के लिए असुविधाजनक बना रहा है. उन्होंने प्रत्येक स्तर पर ई-पंजीकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का भी अनुरोध किया है ताकि बैंकों के साथ धोखाधड़ी जैसे कि एक कृषि भूमि आदि पर डबल फाइनेंसिंग जैसे प्रकरणों से बचा जा सके.

(कार्यवाही : मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि जिन जिलों में ई-पंजीकरण में समस्या आ रही है उनकी सूची उपलब्ध करवाई जाये जिससे अग्रिम कार्यवाही कर समस्या का निस्तारण किया जा सके.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त मुद्दों का निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया।

एजेंडा क्रमांक-11

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शित Glow Sign Board पर नगर निगम/नगर परिषद द्वारा प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से बैंकों को राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा सुश्री सविता डी. केणी द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.